

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद- शाहजहांपुर में बरेली-पक्का पुल चैनेज 0.00 से 4.00 तक
बरेली मोड़-पिपरोल-अहमदपुर एस0एच0-29 चैनेज 469.00 से 475.00
तथा पक्का पुल से मेजवान होटल चैनेज 328.130 से 330.130 तक
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0 द्वारा भूमिगत गैस पाईप डाले जाने में
प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष
पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं0 एफपी/यू0पी0/पाइप लाइन/115789/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश
संख्या-पी 85/81-2-2021-800(98)/2021 दिनांक 04/08/2021 के द्वारा
प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :- 04/08/2021

हस्ताक्षर

()
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।